
अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात् किया गया था, 79,714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग-ए** में दर्शाया गया है राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जिसमें दोनों जनगणनाओं के बीच 22.68 प्रतिशत का इजाफा हुआ। सम्पूर्ण-भारत औसत के 30 प्रतिशत की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 42.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 1,97,514 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 44 प्रतिशत (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 66.41 प्रतिशत (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2014-15 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 59,816 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निर्धारित समय में राज्य के भीतर सरकारी तौर पर स्वीकृत उत्पादित सभी सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	1,15,09,810 [@]
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.7	15.8	11.9	11.5	--
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,27,281	1,35,618	1,51,655	1,72,773	1,97,514
स.रा.घ.उ का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3

स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के वेब साइट से।

वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पर दर्ज वृद्धि को दर्शाती है।

[@] गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ को छोड़कर

झारखण्ड के स.रा.घ.उ. में तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के 14.3 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान 14.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। 2010-15 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी. आर.) 11.61 प्रतिशत था। सामान्य श्रेणी के राज्यों के ₹ 1,07,511 के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. के सापेक्ष झारखण्ड का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. केवल ₹ 59,816 था ।

1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2014-15 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा को **परिशिष्ट 1.1 भाग-बी** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को **परिशिष्ट 1.1 भाग-सी** में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति को **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिये गये हैं।

1.1.1 वर्ष 2014-15 के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष (2013-14) के साथ-साथ चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 भाग-ए** वर्ष 2014-15 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्ष 2014-15 के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					गैर योजना	योजना	कुल
खण्ड क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	26136.80	31564.56	राजस्व व्यय	23471.89	19358.99	12435.91	31794.90
कर राजस्व	9379.79	10349.81	सामान्य सेवायें	9959.36	10346.74	276.71	10623.45
गैर कर राजस्व	3752.71	4335.06	सामाजिक सेवायें	8215.34	4743.76	7171.58	11915.34
संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	8939.32	9487.01	आर्थिक सेवायें	5297.19	4268.49	4987.62	9256.11
भारत सरकार से अनुदान	4064.98	7392.68	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	4722.50	22.82	5520.12	5542.94
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	23.32	33.06	संवितरित की गई ऋण एवं अग्रिम	221.91	34.44	789.34	823.78
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	50.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	4702.90	6690.12	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1996.92	1879.88	0.00	1879.88
आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	14275.26	20189.17	लोक लेखा संवितरण #	14,094.33	19276.68	0.00	19276.68
आरंभिक रोकड़ शेष	704.75	1285.48	रोकड़ अंत शेष	1285.48	444.21	0.00	444.21
कुल	45843.03	59762.39	कुल	45843.03	41017.02	18745.37	59762.39

स्रोत: वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे

*अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#ऑकड़े अन्य खाते जैसे कि विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन को शामिल नहीं करते हैं

पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये हैं:

- पिछले वर्ष (₹ 26,136.80 करोड़) के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 31,564.56 करोड़) में ₹ 5,427.76 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः पिछले वर्ष के भारत सरकार के सहायता अनुदान में ₹ 3,328 करोड़ (82 प्रतिशत) की बढ़ोतरी एवं गैर कर राजस्व में ₹ 582 करोड़ (16 प्रतिशत), कर राजस्व में ₹ 970 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय कर तथा शुल्क में राज्य के अंश में ₹ 548 करोड़ (छ: प्रतिशत) की भी बढ़ोतरी के कारण हुई।
- ते.वि.आ. द्वारा स्वयं के कर-राजस्व (₹ 12,991.83 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,356.97 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध राज्य का वास्तविक क्रमशः ₹ 10,349.81 करोड़ (80 प्रतिशत) एवं ₹ 4,335.06 करोड़ (99.5 प्रतिशत) थे। इस

प्रकार, स्वयं के कर-राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक अनुमान से कम था।

- वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 3,700.00 करोड़ एवं ₹ 3,958.92 करोड़ की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय (आर.ई.) वर्ष 2013-14 में 23,471.89 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,794.90 करोड़ हो गया। तथापि, यह बजट आकलन के ₹ 43,444.00 करोड़ से 27 प्रतिशत कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में पूँजीगत व्यय में ₹ 820.44 करोड़ (17 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। जो मुख्यतः परिवहन विभाग (₹ 465 करोड़) एवं ग्रामीण विकास (₹ 211 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- लोक ऋण की प्राप्तियाँ पिछले वर्ष 2013-14 में ₹ 496 करोड़ (10 प्रतिशत) की कमी के विपरीत 2014-15 में ₹ 1,987 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा संवितरण में क्रमशः ₹ 5,914 करोड़ (41 प्रतिशत) एवं ₹ 5,182 करोड़ (37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन-देन का निवल प्रभाव पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 841.27 करोड़ की कमी थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

झारखण्ड सरकार ने राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहत्तर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ. आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन प्रतिशत तक सीमित करना था। ते.वि.आ. ने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को सम्बद्ध करते हुए राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की।

तदनुसार, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के द्वारा महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के संशोधित लक्ष्य के अनुसार (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना था, (ii) मार्च 2012 के अन्त तक राजकोषीय घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत करना था तथा (iii) वर्ष 2014-15 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 26.9 प्रतिशत करना था।

तालिका 1.2 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, ते.वि.आ. एवं राज्य के बजटीय दस्तावेज में वर्ष 2014-15 के लिए प्रमुख राजकोषीय चरों से संबंधित लक्ष्य को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: मुख्य राजकोषीय विचरण

(प्रतिशत में)

राजकोषीय विचरण	2014-15			
	राज्य के लिए ते. वि. आ. का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. के तहत लक्ष्य	बजट के तहत लक्ष्य	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व हानि(-)/राजस्व आधिक्य(+)	शून्य	शून्य	(+) 2.00	(-)0.1
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	3.00	3.00	(-)2.49	(-)3.3
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.9	26.9	बजट में उपलब्ध नहीं	22.1

राज्य ने वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को ₹ 946 करोड़ राजस्व आधिक्य में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटा को छोड़कर निरन्तर सुधार करते हुए वर्ष 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। यद्यपि 2014-15 में राज्य सरकार ने राजस्व घाटे ₹ 230 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही।


वर्ष 2014-15 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे (₹ 6,564 करोड़) की प्रतिशतता 3.3 थी जो ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुमानित सीमा तीन प्रतिशत से थोड़ी ही ज्यादा थी। यह बजट में प्रावधानवित 2.49 प्रतिशत के बाहर था।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 22.1 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 26.9 प्रतिशत के अनुमान के काफी भीतर था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों में विचलन इच्छित राजकोषीय लक्ष्य हेतु उत्कृष्ट कार्य नहीं करने को इंगति करते हैं जो कई कारणों से होते हैं, जिसमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में तथा कुछ सरकार के नियंत्रण में नहीं होते।

चार्ट 1.1 वर्ष 2014-15 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड के बजट अनुमान तथा वास्तविक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय, ब्याज एवं पेंशन भुगतान को छोड़कर, वर्ष 2014-15 के राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान से कम था। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 11,879 करोड़ से) का मुख्य कारण राज्य बजट आकलनों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में अपेक्षाकृत कम राशि की प्राप्ति (₹ 8,392 करोड़) थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 7,693 करोड़ से) में कमी का कारण सामाजिक सेवाओं (₹ 5,468 करोड़ से) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1,231 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में हास होना था।

निर्धारित बजट से सामाजिक सेवाओं (₹ 365 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 2,235 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 2,681 करोड़ कम था जो राज्य के लिए विचारणीय है।

1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजट को राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के राज्य बजट में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए प्रावधान किया है जिसके ब्यौरे नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना	बजट आकलन	व्यय	अभ्यर्पण
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	57.93	2.55	55.38
किशोरी शक्ति योजना	1.60	0.01	1.59
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	9.00	3.31	5.69
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	18.00	17.27	0.73
महिलाओं एवं किशोरी कन्या के दक्षता विकास की योजना	2.00	1.00	1.00
जीवन आशा	1.00	0.00	1.00
कुल	89.53	24.14	65.39

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

तालिका 1.3 से देखा जा सकता है की वर्ष 2014-15 के दौरान महिलाओं/किशोरियों के उत्थान हेतु ₹ 89.53 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया, जिसमें से ₹ 65.39 करोड़ (73 प्रतिशत) का उपभोग नहीं किया जा सका। जो राज्य सरकार के निधि के प्रावधान के उद्देश्यों की विफलता हैं। बिना किसी कारण के (1) किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (2) किशोरी शक्ति योजना (3) जीवन आशा योजना के प्रावधानों की सम्पूर्ण राशि अभ्यर्पित कर दी गई।



1.2 राज्य के संसाधन



1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएँ हैं जो राज्य सरकार के संसाधन हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्ति याँ यथा विनिवेश से प्राप्ति याँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात् लोक लेखे में उपलब्ध राशि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। तालिका 1.1 (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण, जैसा कि वार्षिक वित्त लेखे में वर्णित है, को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान संसाधनों के घटक तथा उप-घटक को दर्शाने वाले फ्लो चार्ट को चार्ट 1.2 में दिया गया है, जबकि चार्ट 1.3 वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है।

चार्ट 1.4 एवं चार्ट 1.5 क्रमशः वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते हैं।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





चार्ट 1.2 एवं चार्ट 1.5 से देखा जा सकता है कि:

- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 21,573 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 39,200 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष 2013-14 के सापेक्ष कुल प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 8,156 करोड़ की वृद्धि हुई।
- कुल प्राप्तियों (टी.आर.) में राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) का भाग (आर.आर./टी.आर.) वर्ष 2012-13 के दौरान 80 प्रतिशत को छोड़कर, वर्ष 2010-11 के दौरान 87 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 के दौरान 81 प्रतिशत हो गया। 2010-11 के दौरान आर.आर. से टी.आर. को प्रतिशतता लोक ऋण प्राप्तियों एवं लोक लेखा प्राप्तियों के वृद्धि के कारण घटा।
- पिछले वर्ष की तुलना में बाजार ऋण (₹ 1,350 करोड़) में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 42 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 28.43 प्रतिशत था।


- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2013-14 के ₹ 181 करोड़ (कुल प्राप्तियों का एक प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 912 करोड़ (कुल प्राप्तियों का दो प्रतिशत) हो गयी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के वैसे विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जिसकी पहचान दयनीय स्थिति के रूप में की गई थी के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को बड़ी मात्रा में निधियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करती रही है एवं यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती थी। इस प्रकार, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था। अतः वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते थे। जबकि भारत सरकार, द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों के बजाय सीधे राज्य सरकार को सभी केन्द्र प्रायोजित योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी किये जाने के निर्णय से 2014-15 में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरण ₹ 130.92 करोड़ हो गया। जो 2013-14 के (₹ 2,601.80 करोड़) की तुलना में 94.97 प्रतिशत कम था।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 में दिखाया गया है एवं चार्ट 1.6 में भी चित्रित किया गया है।



राज्य के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना से उजागर हुआ कि:

- 2013-14 के 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ में पिछले वर्ष की अपेक्षा 20.8 प्रतिशत के दर से वृद्धि हुई। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 11,879 करोड़ से कम थी। वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 13.86 प्रतिशत था।
- वर्ष 2010-11 के दौरान स्वयं का कर, कर-भिन्न राजस्व से दोगुना था जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 2.39 गुणा हो गया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान से कुल राजस्व प्राप्तियाँ 53 प्रतिशत था जबकि शेष हिस्सा राज्य के स्वयं के संसाधनों का था।
- चालू वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 31,565 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) ₹ 10,350 करोड़ (33 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 4,335 करोड़ (14 प्रतिशत), केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) ₹ 9,487 करोड़ (30 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 7,393 करोड़ (23 प्रतिशत) सम्मिलित था। जबकि 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सी.टी.टी. एवं सहायता अनुदान की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी। स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	18,781	22,420	24,770	26,137	31,565
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.2	19.4	10.5	5.5	20.8
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.8	16.5	16.3	15.1	16.0
राज्य के स्वयं के कर/स.रा.घ.उ.	4.5	5.1	5.4	5.4	5.2
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.91	2.94	0.89	0.40	1.45
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	1.02	3.27	1.55	1.01	0.72
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.90	0.90	0.57	0.39	2.02

¹ आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे- राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 के 20.8 प्रतिशत तक तीव्र गति से बढ़ा।
- स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राजस्व की उत्प्लावकता में भारी उतार-चढ़ाव दिखा जो वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 0.40 तथा 2.94 के बीच था। वर्ष 2011-12 के दौरान उच्च राजस्व प्राप्तियाँ (19.4 प्रतिशत) एवं निम्न स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (6.6 प्रतिशत) के कारण यह सर्वोच्च (2.94 प्रतिशत) था। 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत थी जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 13.9 प्रतिशत थी, फलस्वरूप राजस्व उत्प्लावकता 2013-14 में घटकर 0.40 हो गयी जो बाद में 2014-15 में 1.45 प्रतिशत तक बढ़ा।
- स.रा.घ.उ. एवं राज्य के स्वयं के कर के वृद्धि दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) का उत्प्लावकता में काफी भिन्नता दिखा जो 0.72 से 3.27 के बीच था। उत्प्लावकता, वर्ष 2013-14 में 1.01 से घटकर वर्ष 2014-15 के दौरान 0.72 हो गया।
- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 6.6 प्रतिशत से 26.5 प्रतिशत तक का वृहत अन्तर दर्ज किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान स.रा.घ.उ. 14.3 प्रतिशत बढ़ा। तथापि वर्ष 2010-15 में स.रा.घ.उ. का सी.ए.जी.आर. 11.61 प्रतिशत था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि, वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने में राज्य के निष्पादन को राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं के रूप में मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के मूल्यांकन को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं कर राजस्व	12,991.83	11,732.78	10,349.81
कर भिन्न राजस्व	4356.97	4966.99	4335.06

स्रोत: ते.वि.आ. रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ तथा वित्त लेखे 2014-15

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर का संग्रहण तेरहवें वित्त आयोग के मानक अनुमान के ₹ 10,349.81 करोड़ एवं बजट के ₹ 12,991.83 करोड़ के सापेक्ष ₹ 11,732.78 करोड़ था। प्राप्ति में कमी का प्रमुख कारण बिक्री कर एवं वाहनों कर के संग्रहण में बजट अनुमान से कमी था। वर्ष के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक संग्रहण बजट आकलन के ₹ 8,070 करोड़ एवं ₹ 740 करोड़ के सापेक्ष क्रमशः ₹ 8,959 करोड़ एवं ₹ 850 करोड़ था।

वर्ष 2014-15 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (5.2 प्रतिशत) महत्वपूर्ण रूप से ते.वि.आ. के अनुमान 6.75 प्रतिशत कम था।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,335.06 करोड़) ते.वि.आ. के अनुमान ₹ 4,356.97 करोड़ से थोड़ा कम था।

1.3.1.1 स्वयं कर राजस्व

तालिका 1.6 में मुख्य करों तथा शुल्कों के कुल संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	सी ए जी आर	वर्ष 2014-15 के दौरान कर संग्रहण पर प्रतिशत में व्यय	वर्ष 2013-14 के दौरान कर संग्रहण पर प्रतिशत में व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4473	5522	6422	7305	8070	15.90	0.59	0.65
राज्य उत्पाद	388	457	578	628	740	17.52	1.92	2.36
वाहनों पर कर	312	392	465	495	660	20.60	0.94	1.04
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	328	401	492	502	531	12.80	2.75	2.46
भूमि राजस्व	131	53	96	230	84	-10.51	NA	NA
यात्रियों तथा सामग्री पर कर	21	41	1	1	1	-53.29	NA	NA
अन्य कर	64	88	170	219	264	42.65	NA	NA
कुल स्वयं कर राजस्व	5717	6954	8224	9380	10350	16.00		

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 में कुल कर राजस्व में बिक्री कर का योगदान 78 प्रतिशत एवं राज्य उत्पाद (सात प्रतिशत), वाहनों पर कर (छः प्रतिशत) तथा अन्य करों का योगदान पाँच प्रतिशत से कम था जो 2010-11 के समान था। राज्य का कर राजस्व 2010-11 के ₹ 5,717 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 10,350 करोड़ हो गया। यह 2014-15 में पिछले वर्ष के तुलना में 10.30 प्रतिशत से बढ़ा जो 2013-14 के तुलनात्मक वृद्धि (14 प्रतिशत) से कमतर था। 2010-15 के दौरान राज्य के स्वयं कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. 16 प्रतिशत था।

वाणिज्य कर विभाग ने 2014-15 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि का श्रेय, बेहतर कर प्रशासन के साथ-साथ ₹ 37.79 करोड़ के विशाल बकाये की वसूली को दिया। वाहनों के कर में वृद्धि का कारण चूककर्ता वाहनों से बकाये करों की प्राप्ति एवं नये वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि को बताया गया, जबकि विभाग के अनुसार राज्य उत्पाद की प्राप्तियों में वृद्धि भारत में निर्मित विदेशी शराब के शुल्क की दर में वृद्धि के कारण हुआ। 2014-15 के दौरान अन्य करों में वृद्धि मुख्यतः बिजली पर करों एवं शुल्कों में वृद्धि के कारण था। इस अवधि में बिजली पर करों एवं शुल्कों में वृद्धि का कारण विभाग द्वारा बेहतर कर प्रशासन को बताया गया।

भू-राजस्व की प्राप्तियों में 2013-14 के ₹ 230 करोड़ के तुलना में 2014-15 में ₹ 84 करोड़ तक तीव्र हास हुआ। विभाग द्वारा हास में कमी का कोई कारण नहीं बताया गया।

स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के अलावे, जो कि 2013-14 के 2.46 प्रतिशत से 2014-15 में बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो गया, अन्य सभी करों में कर-संग्रहण मूल्य में कमी आयी।

1.3.1.2 कर भिन्न राजस्व

ते.वि.आ. के मानक ₹ 4,357 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व ₹ 4,335 करोड़ था।

वर्ष 2010-15 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज प्राप्तियाँ	98.74	44.16	72.23	69.48	143.04
लाभांश एवं लाभ	0.40	1.17	15.00	18.00	0.00
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2703.75	2992.89	3448.40	3665.23	4192.02
कुल	2802.89	3038.22	3535.63	3752.71	4335.06

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का हिस्सा दोनों वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 में 14 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान छः प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान एन.टी.आर. में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्यतः खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (243 करोड़) एवं वृहत सिंचाई विभाग से प्राप्तियाँ (₹ 125 करोड़) के अन्तर्गत प्राप्ति के कारण 16 प्रतिशत हो गया। यह वर्ष 2010-15 के दौरान कर भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 11.52 प्रतिशत था।

1.3.2 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में दर्शायी गई हैं:

तालिका 1.8: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजना अनुदान	1281.40	1550.77	1483.41	1319.91	1780.26
राज्य योजना के लिए अनुदान	1826.99	2404.61	2393.94	1565.83	4914.69
केन्द्रीय योजना के तहत अनुदान	8.62	66.87	30.81	28.28	83.56
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	990.24	1235.16	914.05	1150.96	614.17
कुल	4107.25	5257.41	4822.21	4064.98	7392.68
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशतता	46	28	(-)8	(-)16	82
राजस्व प्राप्तियों का कुल अनुदान के सापेक्ष प्रतिशतता	21.87	23.45	19.47	15.55	23.42

(₹ करोड़ में)

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 7,392.68 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2013-14 के ₹ 4,064.98 करोड़ से (82 प्रतिशत) अधिक था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से गैर योजना अनुदान ₹ 1,319.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,780.26 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण वर्ष 2014-15 के दौरान अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिक अनुदान प्राप्ति था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य योजना अनुदान 2013-14 के ₹ 1,565.83 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,914.69 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः राज्य कार्यक्रमों में केंद्रीय कार्यक्रमों को समाविष्ट कर लेने तथा अनुदानों का विमोचन केंद्र सरकार द्वारा सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को करने के वजाय राज्य बजट के द्वारा किये जाने के कारण हुआ।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) वर्ष 2013-14 में ₹ 8,939 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 9,487 करोड़ हुआ। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2014-15 में राज्य के सी.टी.टी. में ₹ 548 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर से आय पर कर (₹ 307 करोड़), निगम कर से भिन्न आय (₹ 386 करोड़) के अंतर्गत हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 30 प्रतिशत था।

तालिका 1.9: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	सीएजीआर
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.),	6154	7170	8188	8939	9487	11.43
आर.आर. में सी.टी.टी. का अंश	32.77	31.98	30.06	34.20	30.06	--

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने झारखण्ड सरकार को अपने विभिन्न विभागों के कार्यों में सुधार हेतु अनुदान की सिफारिश की। उन अनुदानों में से 2014-15 के दौरान प्राप्त कुछ अनुदानों की स्थिति तालिका 1.10 में दी गयी है:

तालिका 1.10: तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	ते.वि.आ. के सिफारिश से प्राप्त अनुदान	संबद्ध लेखा शीर्ष के तहत व्यय	अप्रयुक्त राशि
1	12 - वित्त विभाग	10.00	3.01	6.99
2	13- ब्याज भुगतान	1.85	0.14	1.71
3	19- वन विभाग	133.68	89.58	44.10
4	22- गृह विभाग	149.00	149.00	0.00
5	25- सांस्थिक वित्त एवं योजना क्रियान्वयन विभाग	23.28	0.00	23.28
6	26- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	152.75	127.30	25.45
7	27- कानून विभाग	115.67	32.39	83.28
8	28- उच्च न्यायालय झारखण्ड	13.40	3.24	10.16
9	35 - योजना एवं विकास विभाग	21.51	7.11	14.40
10	39- आपदा प्रबंधन विभाग	312.54	288.74	23.80
11	42- ग्रामीण विकास विभाग	524.62	685.66	(-)161.04
12	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	46.56	23.28	23.28
13	44 - मानव संसाधन विकास विभाग	636.51	373.00	263.51
14	45- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	90.16	57.90	32.26
15	48- शहरी विकास विभाग	286.29	131.55	154.74
16	49- जल संसाधन विभाग	49.34	0.00	49.34
17	50- लघु सिंचाई विभाग	4.66	0.00	4.66

18	51- कल्याण विभाग	31.25	0.00	31.25
19	52- खेल-कूद, कला, संस्कृति एवं युवा मामलों का विभाग	56.00	53.00	3.00
20	55- ग्रामीण कार्य विभाग	263.09	179.86	83.23
21	56- पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी.	1451.69	923.52	528.17
22	59- प्राथमिक एवं लोक शिक्षा	893.83	668.00	225.83
23	60- समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	378.00	313.02	64.98
	कुल	5645.68	4109.30	1536.38

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे 2014-15

उपरोक्त तालिका 1.10 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिशों के तहत कुल ₹ 5,645.68 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। उक्त अवधि में ते.वि.आ. के सिफारिश के आधार पर किये गये बजट प्रावधान में से ₹ 4,109.30 करोड़ (73 प्रतिशत) का उपयोग किया गया एवं 2014-15 के अंत तक ₹ 1,536.38 करोड़ (27 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा।

1.3.5 त्यक्त राजस्व

1.3.5.1 करों की कम उगाही, उगाही नहीं एवं करों का कम निर्धारण

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद , भू-राजस्व, निबंधन तथा खनन एवं भूतत्व विभाग की 114 इकाईयों के दस्तावेजों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान, ₹ 1,247.70 करोड़ से संबंधित कम उगाही, कम निर्धारण एवं उगाही नहीं के 6,699 मामले पाये गये। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने 4,052 मामलों में ₹ 715.61 करोड़ को स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान विभाग ने 340 मामलों में ₹ 3.37 करोड़ की वसूली की।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2015 तक तीन विभागों (वाणिज्य कर, वाहन तथा राज्य उत्पाद) में ₹ 3,311.93 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 2,347.84 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का मुख्य भाग वाणिज्यिक कर विभाग (₹ 3,005.51 करोड़) और परिवहन विभाग (₹ 276.09 करोड़) से संबंधित था। अन्य विभागों के बकाया राजस्व की सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी (अगस्त 2015)।

31 मार्च 2015 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के कुल राजस्व का 10 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधन का 23 प्रतिशत था।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अलावे, राज्य पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त करता है जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम की वसूली, वित्तीय संस्थाओं से सरकार का आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2010-15 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: प्राप्तियों की संरचना तथा वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	2471	2695	5242	4726	6723
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	24	43	23	33
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2447	2671	5199	4703	6690
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)27.4	9.2	94.6	-9.5	42.3
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.1	0.0	79.2	-46.51	43.48
स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3
सी.आर. का वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)27.1	9.1	94.5	-9.8	42.3

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के ₹ 4,726 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 6,723 करोड़ तक की वृद्धि मुख्यतः लोक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2013-14 के ₹ 4,703 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में ₹ 6,690 करोड़ के वृद्धि थी, जो बाजार ऋण में 2013-14 के ₹ 2,950 करोड़ से 2014-15 में ₹ 4,950 करोड़ की प्रमुख वृद्धि के कारण थी। राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 28.43 प्रतिशत था।

वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान विनिवेश से आय 'शून्य' था।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम से वसूली

दिए गए ऋण एवं अग्रिम की तुलना में वसूली काफी कम थी। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त वसूली एवं दिए गए ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋणों का आरंभिक शेष	6713	6997	7190	7748	7947
दिया गया ऋण	308	21	601	222	824
की गई वसूली	24	24	43	23	33
ऋणों का अंतिम शेष	6997	7190	7748	7947	8738

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) जिसे वर्ष 2013 में चार भागों में बाँट दिया गया, प्रत्येक वर्ष दिये गए ऋण एवं अग्रिम के मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु, इसका कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2015 के अंत में विद्युत प्रक्षेत्र का शेष ₹ 8,080 करोड़ हो गया था। 2014-15 के दौरान विद्युत प्रक्षेत्र को ₹ 421 करोड़ का ऋण दिया गया। पुनर्भुगतान मुख्यतः सरकारी सेवकों के ऋण एवं अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त किया गया था। वर्ष 2010-15 के दौरान दिये गये ऋण तथा ऋण के अंतिम शेष का सी.ए.जी.आर. क्रमशः 27.89 एवं 5.71 प्रतिशत था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर को भरने तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए राज्य ने आंतरिक बाजार से निधि की उगाही की। आंतरिक बाजार उधार वर्ष 2010-11 के ₹ 2,315 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 6,537 करोड़ तथा सी.ए.जी.आर. 29.63 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक ऋण के प्रमुख घटक बाजार उधार (₹ 4,950 करोड़) कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से ऋण (₹ 790 करोड़) एवं केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि से निर्गत विशेष प्रत्याभूति के रूप में था। वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया।

1.4.3 भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम

राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त हुए थे एवं 2010-15 के दौरान ये ₹ 33 करोड़ से ₹ 239 करोड़ के मध्य दोलित था। यह 2010-11 में ₹ 132 से 2014-15 में ₹ 153 करोड़ तक बढ़ा।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा-लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते हैं, के संदर्भ में

प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं। संवितरण के पश्चात् सरकार के पास उपलब्ध शेष निधि सरकार के उपयोग के लिए होती है। तालिका 1.13 में लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के तहत संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लोक लेखा प्राप्तियाँ	7721	10813	14495	14275	20189
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	572	613	668	760	843
आरक्षित निधि	शून्य	138	280	293	308
जमा तथा अग्रिम	3670	5236	8706	7204	12182
उचंत तथा विविध	181	306	199	-59	18
प्रेषण	3298	4520	4642	6077	6838

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे


जमा एवं अग्रिम में 2013-14 के ₹ 7,204 करोड़ की तुलना में 2014-15 में ₹ 12,182 की वृद्धि के कारण लोक लेखा प्राप्तियों में 2013-14 के ₹ 14,275 करोड़ से 2014-15 के ₹ 20,182 करोड़ तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जमा एवं अग्रिम में वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋण ₹ 1,995 करोड़, राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि ₹ 1,388 करोड़ एवं स्वास्थ्य एवं जन कल्याण निधि ₹ 136 करोड़ के अन्तर्गत हुई। 2010-15 के अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों सी.ए.जी.आर. का 27.16 प्रतिशत था।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन्हें वृहत व्यय करने का कार्यभार सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बढ़ाने में बजटीय बाध्यता होती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया लागत व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिये निर्देशित व्यय पर नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2010-15) के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटकों की प्रवृत्तियाँ को दर्शाता है।



विगत पाँच वर्षों से कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. की वृद्धि दर 16.22 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में कुल व्यय में मामूली वृद्धि (₹ 9,746 करोड़ से) हुई थी।

- कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 83 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय 15 प्रतिशत था। ऋण एवं अग्रिम का वितरण कुल व्यय का केवल दो प्रतिशत था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान क्रमशः गैर-योजना व्यय एवं योजना वर्ष 2013-14 के दौरान क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत व्यय कुल व्यय का 51 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत के सापेक्ष था, जो एक गुणात्मक सुधार था।

1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 के ₹ 4,722 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,543 करोड़ हो गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 17 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 15 प्रतिशत हो गयी। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 2.7 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 2.8 प्रतिशत रही।

1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के 82 प्रतिशत के विरुद्ध 2014-15 का राजस्व व्यय (रा.व्य.) कुल व्यय (₹ 38,162 करोड़) का 83 प्रतिशत था। रा.व्य. वर्ष 2010-11 के ₹ 17,945 करोड़ से बढ़कर (77 प्रतिशत से) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 31,795 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान स.रा.घ.उ. का राजस्व व्यय 16.1 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान रा.व्य. का सी.ए.जी.आर. 15.37 प्रतिशत था।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

योजनागत राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 6,288 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 12,436 करोड़ हो गया। इस वर्ष के दौरान पी.आर.ई. बजट आकलन से ₹ 5,505 करोड़ कम था। कुल राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2013-14 के 27 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 में बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया। पी.आर.ई. में वृद्धि सामान्य सेवाओं (₹ 664 करोड़ से), सामाजिक सेवाओं (₹ 3,700 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवायें (₹ 3959 करोड़ से) के कारण हुआ। वर्ष 2010-15 के दौरान योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 19.97 प्रतिशत था।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2014-15 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिश ₹ 17,376.93 करोड़ तथा बजट अनुमान ₹ 21,547 करोड़ के विरुद्ध गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 19,359 करोड़ था। गैर-योजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 13 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-15 के दौरान कुल राजस्व व्यय से गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता 61 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच दोलित रही। वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत रहा। राज्य के एन.पी.आर.ई. का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2010-15 के दौरान 12.84 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत एन.पी.आर.ई. मुख्यतः शिक्षा (₹ 3,053) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 709 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 313 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास व शहरी विकास (₹ 446 करोड़) पर किया गया। आर्थिक सेवाओं के तहत एन.पी.आर.ई. मुख्यतः ऊर्जा (₹ 2,109 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 876 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 469 करोड़) तथा परिवहन (₹ 361 करोड़) पर किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। तालिका 1.14 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2010-15 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.14: वेतन और मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतान पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट आकलन [#]	वास्तविक
वेतन*, और मजदूरी, जिसमें	5642(30)	6352(28)	6446(26)	6934(27)	9553	7417(24)
गैर योजना शीर्ष	5434(29)	6150(27)	6270(25)	6766(26)	9236	7193(23)
योजना शीर्ष	208(1)	202(1)	176(1)	168(1)	317	224(1)
ब्याज भुगतान	2228(12)	2267(10)	2391(10)	2614(10)	2729	2929(9)
पेंशन	2081(11)	2297(10)	2931(12)	3484(13)	4288	3463(11)
सब्सिडी	80	286(2)	270(1)	187(1)	₹	246(1)
कुल	10031(53)	11202(50)	12054(49)	13219(51)		14055(45)


स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे


कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

* इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।

बजट अनुमान के सकल आँकड़े जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़े हैं।

₹ बजट उपलब्ध नहीं है।





वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय के सापेक्ष सब्सिडी की प्रतिशतता लगभग नगण्य रही।

वर्ष 2013-14 के 55 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 7,417 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,929 करोड़) और पेंशन (₹ 3,463 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 43 प्रतिशत लेखापित था एवं वर्ष 2013-14 के 50 प्रतिशत के सापेक्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्तियों का 44 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर कुल गैर योजना व्यय सम्मिलित रूप से गैर-योजना राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत लेखापित था।

- वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व व्यय (आर.ई.) में वेतन एवं मजदूरी व्यय 23 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व व्यय से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 23 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियों से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता भी वर्ष 2013-14 के 27 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 24 प्रतिशत हो गया। वेतन एवं मजदूरी का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2010-15 के दौरान 7.08 प्रतिशत था।

- वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 7,193 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 427 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक अनुमान (₹ 6,411 करोड़) से ₹ 782 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- पेंशन पर व्यय 13.58 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. के साथ वर्ष 2010-11 के ₹ 2,081 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 3,463 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष घटकर ₹ 21 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की 19 प्रतिशत के तुलना में पेंशन का वृद्धि दर 2014-15 में (-)0.6 प्रतिशत के

ऋणात्मक था। पेंशन भुगतान 2014-15 के लिए बजट अनुमान (₹ 4,288 करोड़) से ₹ 825 करोड़ (19 प्रतिशत) कम था।

- भविष्य में पेंशन तथा पेंशन संबंधी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया है। राज्य ने नयी पेंशन स्किम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ. के ₹ 3,827 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2,929 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 12 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2014-15 के दौरान नौ प्रतिशत थी। वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 7.08 प्रतिशत था।
- वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.15 में दिए गये हैं:

तालिका 1.15: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2013-14	औसत ब्याज दर	2014-15	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	2229.18	8.39	2530.62	8.34
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	147.37	6.99	131.94	6.31
लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	235.96	15.18	262.93	18.04
अन्य	1.93	0.03	3.66	0.05
कुल	2614.44	7.22	2929.15	7.22

सब्सिडी

- वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 246 करोड़² का भुगतान सब्सिडी के रूप में शीर्ष 2401-फसल उत्पादन (₹ 184.56 करोड़) तथा शीर्ष 2852-उद्योग (₹ 32.54 करोड़), 2403-पशु-पालन (₹ 11.93 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2013-14 के ₹ 187 करोड़ की सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान सब्सिडी की राशि बढ़कर ₹ 246 करोड़ हो गई।
- वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के परिशिष्ट II के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

² वित्त लेखे के परिशिष्ट II

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फ्लैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुई, जिसके लिए बजट में राज्य योजना (रा.यो.) तथा केन्द्रीय योजना (के.यो.) के तहत निधियाँ प्रदान की गईं। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत 31 मुख्य फ्लैगशिप योजनाओं के लिए ₹ 11,249 करोड़ का बजट आवंटन किया गया, जिसमें से ₹ 9,710.41 करोड़ का उपयोग किया गया। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत किये गये ₹ 2,145.10 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 750.62 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुछ वृहत कार्यक्रमों पर रा.यो. तथा के.यो. के अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1.	मुख्य सड़क	1922.00	1779.52
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	723.00	521.41
3.	सर्व शिक्षा अभियान	566.50	566.50
4.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	450.00	281.75
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	350.11	191.71
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	313.04	104.51
केन्द्रीय योजना			
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	990.75	364.68
2.	विश्व बैंक द्वारा पोषित आईसीडीएस परियोजना IV	3860.00	259.83
3.	समेकित बाल विकास परियोजना	284.64	130.59

जैसा कि तालिका 1.16 से स्पष्ट है कि विश्व बैंक द्वारा पोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV पर व्यय (₹ 259.83 करोड़) इस योजना के लिए प्रदत्त कुल बजट का केवल 7 प्रतिशत (₹ 3,860.00 करोड़) था पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पर व्यय (₹ 281.75 करोड़) भी ₹ 450.00 करोड़ के बजट अनुमान के तुलना में काफी कम था।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पी.आर.आई.)	875.69	581.06	3078.86	910.68	3378.42
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	246.15	25.34	330.54	88.38	1619.77
सार्वजनिक उपक्रम	491.55	777.00	450.02	1528.89	3643.86
स्वायत्त निकाय	607.55	677.85	1837.02	2451.34	2512.95
गैर-सरकारी संस्थाएँ	192.43	209.68	199.40	106.65	684.99
अन्य	708.34	2259.30	1054.48	1335.91	564.03
कुल	3121.71	4530.23	6950.32	6421.85	12404.02
राजस्व व्यय, प्रतिशत के रूप में	17.31	21.58	29.70	27.36	39.01

स्रोत: वित्त लेख के विवरणी आठ

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता (-)22.66 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. के दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 3,121.71 करोड़ से निरन्तर बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 12,404.02 करोड़ हो गया। वित्तीय सहायता की वृद्धि दर 2013-14 (-) आठ प्रतिशत से 2014-15 में 53 प्रतिशत के बीच तेजी से बढ़ा। यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट शीर्ष 3604- यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। पी.आर.आई. एवं यू.एल.बी. को दी गई सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय के लेखों के अंतर्गत लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि (₹ 582 करोड़) शामिल नहीं है।

1.6.5 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण

स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यो यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था। पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को सहायता, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता और 193-नगर पंचायतों को सहायता के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2011 में समाविष्ट सभी 18 कार्यो को

फरवरी 2012 में सौंपा जिसे परिशिष्ट 1.5 भाग ए में दर्शाया गया है। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी. (नगर निगम-3, नगर परिषद-14, नगर पंचायत-19, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) हैं।

तालिका 1.18 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान यू.एल.बी. को ₹ 2,310 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 2010-15 के दौरान यू.एल.बी. को प्रदत्त वित्तीय सहायता में काफी उतार चढ़ाव हुआ। जबकि, यह 2014-15 में ₹ 1,620 करोड़ तक बढ़ा।

यू.एल.बी को उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 1.18: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.)	18781	22420	24770	26137	31565	123673
राज्य का राजस्व व्यय (आर.ई.)	17945	20992	23400	23472	31795	117604
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	246	25	331	88	1620	2310
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का प्रतिशतता	1.31	0.11	1.34	0.34	5.13	1.87
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	1.37	0.12	1.41	0.37	5.10	1.96
स्वयं के संग्रह ³	3.23	46.33	88.03	45.54	8.96	192.09

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2015 तक स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुनः स्थानीय निकायों को कार्यों तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर 2012, सितम्बर 2013 एवं नवम्बर 2013, जून 2015 एवं सितम्बर 2015)। सरकार का जवाब अप्राप्त है (सितम्बर 2015)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन का कार्यभार (टी.जी.एस.) अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखा परीक्षा करने का प्रावधान अंतर्निहित है जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिया जाना था। राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) में किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति की, परन्तु

³ अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग को नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, यू. एल.बी. के लेखा परीक्षा के दौरान सूचना एकत्रित की गई।

डी.एल.एफ.ए. को अभी तक परिचालित नहीं किया गया है, जबकि महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. के अनुसार स्थानीय निकायों का जाँच परीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, मुख्य 2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता एवं 2217 शहरी विकास के अन्तर्गत लघु-शीर्षो 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4,706 पंचायती राज संस्थाएँ⁴ हैं। वर्ष 2010-15 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 8,825 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

तालिका 1.19 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर. आर.)	18781	22420	24770	26137	31565	123673
राज्य का राजस्व व्यय (आर. ई.)	17945	20992	23400	23472	31795	117604
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता	876	581	3079	911	3378	8825
राजस्व प्राप्तियों से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	4.66	2.59	1.96	3.49	10.70	7.14
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	4.88	2.77	2.08	3.88	10.62	7.50
स्वयं से संग्रह **	--	--	--	--	--	--

**राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2015 तक पी.आर.आई. को निधि प्रदान करने संबंधी कोई सुझाव नहीं दिया था। राज्य सरकार अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि

⁴ 24 जिला परिषदें, 259 पंचायत समितियाँ, एवं 4,423 ग्राम पंचायतें

परिशिष्ट 1.5 भाग बी में वर्णित है, कुल अनुबद्ध 29 कार्यों में से अक्टूबर 2014 तक 15 कार्य पी.आर.आई. को सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुपुर्द किया गया है। इस संबंध में जून 2015 एवं सितम्बर 2015 में अद्यतन स्थिति की सूचना माँगी गयी है जिसका जबाव प्रतीक्षित है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (मार्च 2011) के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2012' को अधिसूचित किया (मार्च 2011), तदनुसार पी.आर.आई. का लेखांकन किया जाता है। तथापि पी.आर.आई. का लेखापरीक्षा नमूना जाँच के आधार पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. का परिचालन अभी तक (अगस्त 2015) सुनिश्चित नहीं किया गया है।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

राज्य के कुल व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष के संगत वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान 34.3 प्रतिशत था।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 71 प्रतिशत था, जबकि गैर-विकास व्यय 29 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान विकास व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष 49 प्रतिशत बढ़ा, जबकि गैर-विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम है।

वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.20 विश्लेषित करता है।

तालिका 1.20: वर्ष 2011-12 और वर्ष 2014-15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई./ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-2012	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2011-2012	23.11	74.49	27.69	10.08	13.18	3.16
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	16.49	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2014-15	23.33	76.29	29.10	12.03	12.65	3.51

स्रोत: स.रा.घ.उ. के आँकड़े राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

* स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

ए.ई. : सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई. : विकास पर व्यय, एस.एस.ई. : सामाजिक क्षेत्र पर व्यय,
सी.ई. : पूँजीगत व्यय

विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूँजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित
अग्रिम सम्मिलित है।

@ गोवा एवं पांडिचेरी के अलावा 17 राज्यों पर आधारित ।

झारखण्ड राज्य वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान अपने स.रा.घ.उ. का थोड़ा अधिक हिस्सा विकास व्यय पर खर्च किया जबकि 2014-15 के दौरान झारखण्ड में पूँजीगत व्यय से ए.ई. का हिस्सा प्रमुख रूप से अधिक था।

झारखण्ड में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2012-13 के तुलना में 2014-15 के दौरान थोड़ा अधिक था, जबकि झारखण्ड में सकल व्यय से पूँजीगत व्यय 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से अधिक था।

वर्ष 2014-15 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य पूँजीगत व्यय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र पर व्यय को कम प्राथमिकता दी गयी, तथापि राज्य के सम्पूर्ण विकास व्यय को अधिक प्राथमिकता दी गई।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत

मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स⁵ के प्रावधान पर जोर दे। विकास व्यय⁶ हेतु आवंटन के सुधार के अलावा कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय, व्यय के उपयोग की दक्षता को भी प्रतिबिम्बित करती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी ही बेहतर होगी। राज्य के वार्षिक लेखों की समीक्षा में यह पाया गया :

- शिक्षा के क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 145.21 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 82.97 करोड़ हो गया जो वर्ष 2014-15 के बजट में निर्धारित ₹ 202.40 करोड़ के पूँजीगत व्यय से काफी कम था।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 में ₹166.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 260.97 करोड़ हो गया। तथापि, इन क्षेत्रों के लिए पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 के बजट में निर्धारित ₹ 394.04 करोड़ से काफी कम था।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास में पूँजीगत व्यय, वर्ष 2013-14 में ₹ 342.07 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 188.90 करोड़ हो गया। इस वर्ष जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास के लिए ₹ 219.65 करोड़ का बजट प्रावधान था।

तालिका 1.21 वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास योजनाओं पर व्यय की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

⁵ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे:- कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि।

⁶ व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्ययित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए हैं। हमारे आँकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर विकासात्मक व्यय हैं।

तालिका 1.21: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास पर राजस्व व्यय	10954(52)	13146(54)	14704(52)	13512(48)	27870	21171(55)
विकास पर पूँजीगत व्यय	2544(12)	3003(12)	4042(14)	4554(16)	7817	5217(14)
विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	296(1)	199(1)	582(2)	209(1)	638	807(2)
कुल	13794	16348	19328	18275	36325	27195
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य+पू. व्य+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़ा है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास एवं ऊर्जा राजस्व शीर्ष एवं पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत यातायात पर व्यय के कारण विकास व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में नकारात्मक पाँच प्रतिशत से सुधर कर वर्ष 2014-15 में 49 प्रतिशत रहा। तालिका 1.21 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से काफी कम था।
- वर्ष 2010-15 के दौरान कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2010-15 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 17.91 प्रतिशत था।
- कुल व्यय में विकासपरक पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी (विकासपरक ऋण एवं अग्रिम सहित) वर्ष 2013-14 के दौरान 17 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-15 के दौरान विकासपरक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 19.67 प्रतिशत था, जो कि विकासपरक राजस्व व्यय की तुलना में अधिक था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक विकासपरक पूँजीगत व्यय एवं विकासपरक ऋण एवं अग्रिम बजट आकलन के ₹ 7,817 करोड़ एवं ₹ 638 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5,217 करोड़ एवं ₹ 807 करोड़ था।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल विकासपरक व्यय (₹ 27,195 करोड़) में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (₹ 12,845 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय (₹ 14,350 करोड़) क्रमशः 47 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत था।

चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय

राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने वाले परिसम्पत्तियों के सृजन पर किए गए व्यय को विकास पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि राजस्व व्यय चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए व्यय हैं। तालिका 1.22 इस प्रकार के पूँजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2013-14			2014-15		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर. ई. में, हिस्सा		टी.ई. से सी. ई. का अनुपात	आर. ई में, हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.*		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवायें (एस.एस.)						
सामान्य शिक्षा	2.05	54.98	0.00	0.12	51.47	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.52	51.89	0.13	16.97	43.45	0.01
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	32.51	18.03	2.82	9.80	7.71	1.67
कुल (एस.एस)	10.09	35.92	0.52	7.08	26.18	0.31
आर्थिक सेवायें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	1.52	37.74	0.31	7.86	32.94	0.07
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	59.89	98.03	0.00	53.46	95.45	22.39
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	88.78	39.68	51.98	74.64	15.07	31.57
कुल (ई.एस.)	39.82	22.14	4.34	27.64	13.69	4.06
कुल (एस.एस.+ई.एस.)	24.92	30.52	2.02	18.35	20.72	1.95
टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर.ई.: राजस्व व्यय; एस. और डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ. और एम.: संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- सारणी में वर्णित सेवाओं के आधार पर कुल विकासात्मक व्यय से विकासात्मक पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता में वर्ष 2013-14 के 24.92 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 18.35 प्रतिशत हो गया।

- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन वर्ष 2013-14 में क्रमशः 35.92 प्रतिशत एवं 22.14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 26.18 प्रतिशत एवं 13.69 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं में, राजस्व व्यय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास एवं परिवहन मद के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के 0.13 प्रतिशत एवं 2.82 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 0.01 प्रतिशत एवं 1.67 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिवहन मद के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के 51.98 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 31.57 प्रतिशत हो गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न हीं केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और स्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2014-15 के परिशिष्ट- VIII (i) के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2015 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.23 में दी गयी है।

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की सं.	आरंभिक अनुमानित लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	31.3.2015 का समुच्चयित वास्तविक व्यय
पथ निर्माण	226	5462.83	1006.30	1592.63
ग्रामीण अभियांत्रिक संस्थान	108	221.06	57.35	115.16
भवन निर्माण	68	187.87	58.68	115.19
कुल	402	5871.76	1122.33	1822.98

स्रोत: वित्त लेखे 2014-15 की परिशिष्ट X

अपूर्ण कार्य पर निधियों को अवरोधित करना व्यय के गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपरोक्त तालिका के सभी अपूर्ण 402 परियोजनायें (अनुमानित खर्च ₹ 5,871.76 करोड़) 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किये जाने थे, जो नहीं किये जा सके। फलतः ₹ 1,822.98 करोड़ अवरोधित रहा। परियोजना कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से खर्च बढ़ने का डर रहता है। साथ ही, इन परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाले विलम्ब के कारण उनसे, वांछित परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सका।

1.8.3 निवेश एवं लाभांश

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2015 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 12 सरकारी कम्पनियाँ (₹ 85.05 करोड़) एवं 18 को-ओपरेटिव, कॉरपोरेशनों एवं सोसाईटियों में (₹ 116.22 करोड़) कुल ₹ 247 करोड़ का निवेश किया (तालिका 1.24)। निवेश से लाभांश वर्ष 2014-15 के दौरान शून्य थी। तथापि सरकार ने अपने उधार पर वर्ष 2014-15 के दौरान 7.22 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	135.18	182.57	187.82	231.97	247.00
लाभांश (₹ करोड़ में)	0.40	1.17	15.00	18.00	शून्य
लाभांश (प्रतिशत में)	0.30	0.64	7.99	7.76	शून्य
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	7.98	7.64	8.76	7.22	7.22
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (प्रतिशत में)	7.68	7.00	0.77	0.54	7.22

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 15.03 करोड़ (छ: प्रतिशत) का निवेश मुख्यतः सरकारी कम्पनियों में (₹ 9.75 करोड़) एवं को-ओपरेटिव सोसाईटी एवं स्थानीय निकाय में निवेश (₹ 5.28 करोड़) किया गया।

पुनः 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

को-ओपरेटिव, सोसाईटी कॉरपोरेशन और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2015 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को तालिका 1.25 प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

अग्रिम/ब्याज प्राप्ति /उधार की लागतों की प्रमात्रा	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋणों का आरंभिक शेष	6713	6997	7190	7748	7947
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि	308	217	601	222	824
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	24	24	43	23	33
बकाया ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत के रूप में वसूली	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
अंतशेष	6997	7190	7748	7947	8738
निवल योग	284	193	558	199	791
कुल ब्याज प्राप्ति	7.26	2.12	0.95	2.74	15.72
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.12	*	0.01	0.03	0.20

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

*नगन्य

- राज्य सरकार द्वारा को-ओपरेटिव, सोसाईटियाँ, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2010-11 के ₹ 308 करोड़ से धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 824 करोड़ हो गयी तथापि वर्ष 2012-13 में ₹ 601 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 222 करोड़ हो गयी जो ऊर्जा परियोजनाओं के अन्तर्गत जो कि ₹ 604 करोड़ की अधिक ऋण मुक्त करने के कारण वर्ष 2014-15 में बढ़कर ₹ 824 करोड़ हो गई।

- वर्ष 2014-15 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में 2.57 प्रतिशत के विरुद्ध 9.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2015 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 8,738 करोड़ में से प्रमुख बकाया राशि ऊर्जा के लिए ऋण (₹ 8,080 करोड़) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 585 करोड़) के पास था।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- 31 मार्च 2015 तक कुल ₹ 1,289.81 करोड़ (₹ 414.37 करोड़ मूलधन एवं ₹ 875.44 करोड़ का ब्याज) के ऋण एवं अग्रिम की वसूली किया जाना अतिदेय था जिसमें से ₹ 962.79 करोड़ जे.एस.ई.बी. तथा तेनुघाट विद्युत निगम का बकाया है (₹ 366.86 करोड़ मूलधन एवं ₹ 595.93 करोड़ का ब्याज) ।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को
रोकड़ शेष	1285.48	444.21
रोकड़ शेष से निवेश ('अ' से 'स' तक)	851.84	666.13
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	847.43	666.13
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	66.74	126.98
रिजर्व बैंक में जमा	428.21	-224.13
विभागीय रोकड़ शेष	5.43	2.21

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 31 मार्च 2015 के अंत तक राज्य का रोकड़ शेष पिछले वर्ष के ₹ 1,285.48 करोड़ के सापेक्ष ₹ 444.21 करोड़ था।

राज्य के पास मार्च 2015 के अंत में रोकड़ निवेश मार्च 2014 में ₹ 851.84 करोड़ के रोकड़ निवेश के सापेक्ष ₹ 666.13 करोड़ का रोकड़ निवेश था। मार्च 2015 के अंत तक कुल रोकड़ शेष का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन


सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकारी स्वामित्व की परिसम्पत्तियाँ अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को शामिल करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 भाग-बी** 31 मार्च 2015 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2014 की तदनुसूची स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है।


दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल हैं, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007, राज्य की संचित निधि और लोक लेखा जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमशः **चार्ट 1.10** एवं **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।





तालिका 1.27: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	सीएजीआर
आंतरिक ऋण	21,131	22,286	25,202	27,940	32,755	11.58
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2167	2024	2124	2092	2087	-0.94
लोक लेखे दायित्व	5357	6354	7543	7562	8727	12.98
कुल राजकोषीय दायित्व	28,655	30,664	34,869	37,594	43,569	11.04
कुल दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	5.5	7.0	13.7	7.8	15.9	मान्य नहीं
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	22.5	22.6	23.0	21.8	22.1	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्ति से राजकोषीय दायित्व का प्रतिशत	152.57	136.77	140.77	143.83	138.03	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्तियों के परिपेक्ष्य में उत्प्लावकता	0.23	0.36	1.30	1.42	0.76	मान्य नहीं

• जैसा कि तालिका 1.27 में दर्शाया गया है, वर्ष 2010-11 के ₹ 28,655 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व 52.05 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 में ₹ 43,569 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 7.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 15.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान राजकोषीय दायित्व का सी.ए.जी.आर. 11.04 प्रतिशत था।

• राज्य के राजकोषीय दायित्वों में ₹ 1,356 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि के रूप में तथा ₹ 866.79 करोड़ आरक्षित निधि (राज्य आपदा राहत निधि) के रूप में शामिल था।

- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2010-11 के 22.5 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2014-15 में 22.1 प्रतिशत हो गया।
- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा से अलग सभी ऋणों की परिशोधन हेतु एक सिंकिंग फंड, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, अक्टूबर 2015 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा संतति राज्य बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (अक्टूबर 2015) नहीं किया गया।

1.9.3 राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति

जब लेखे में नान परफोर्मिंग परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) को सम्पत्तियों में शामिल की जाती है तो ऐसे में सम्पत्ति को अत्योक्ति युक्त कहा जाता है। ऋण एवं अग्रिम को एन.पी.ए. के रूप में तब चिन्हित की जाती है जब धारक के ऋण एवं अग्रिम के पुनर्भुगतान की क्षमता के संबंध में संदेह है। यह निष्कर्ष निम्नलिखित आधार पर निकाला जा सकता है।

1. अगर धारक लाभ नहीं कमा रहा है।
2. कुछ निकाय लाभ नहीं कमाने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान कर देते हैं। इन मामलों में भी धारक को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है एवं जब यह पुनर्भुगतान निकायों को सरकार द्वारा अन्य सहायता से दिया जाता है तो इसे परिसम्पत्तियों के रूप में चिन्हित की जाती है।

सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 तक दिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष ₹ 8,737.16 करोड़ था जिसमें ऊर्जा के लिए ₹ 8,079.60 करोड़ का बकाया भी शामिल था। ऊर्जा के लिए दिए गए कुल ऋण में जे.एस.ई.बी. का जनवरी 2014 में इसके विभाजन के पूर्व ₹ 7,239.75 करोड़ का बकाया था। आगे, ₹ 1289.81 करोड़ 31 मार्च 2015 तक पुनर्भुगतान किया जाना था, जिसमें से ₹ 962.79 करोड़ ऊर्जा से संबंधित था। गठन से लेकर 31 मार्च 2013 तक अंतिम लेखा बनने तक जे.एस.ई.बी. का घाटा/नुकसान ₹ 10,165 करोड़ था। जे.एस.ई.बी. को जनवरी 2014 में चार पावर कम्पनियों के समूह में बाँट दिया गया। जबकि, झारखण्ड राज्य सुधार स्थानांतरण योजना 2013 के अनुसार जे.एस.ई.बी. से वसूली योग्य राज्य सरकार के बकाये ऋण एवं अग्रिम को राज्य सरकार के खाते में जे.एस.ई.बी. द्वारा वसूली योग्य दर्शाया जाएगा।

अतः राज्य की परिसम्पत्तियों में जे.एस.ई.बी. को दिये गए ऋण के कारण ₹ 7,239.75 करोड़ की अत्योक्ति हुई।

1.9.4 संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया। तत्पश्चात्, प्राकृतिक आपदा राहत निधि से शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में अंतरित कर दी गई।

वर्ष 2014-15 के दौरान एस.डी.आर.एफ. में प्रारंभिक शेष ₹ 591.56 करोड़ था। वर्ष के दौरान निधि से प्राप्त एवं संवितरण क्रमशः ₹ 307.85 करोड़ एवं ₹ 32.62 करोड़ था जिससे मार्च 2015 तक अंतिम शेष ₹ 866.79 करोड़ हो गया।

1.9.5 प्रत्याभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति दिया गया है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान में प्रावधान है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकता है और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार मार्च 2015 तक ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था। वर्ष 2014-15 के दौरान कोई प्रत्याभूति न ही दी गई और न ही वापस ली गई।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता⁷ को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण⁸,

⁷ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

⁸ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर व्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-व्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण*दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवतः सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात संभवतः गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता⁹, उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता¹⁰, ब्याज भुगतान का भार (के साथ राजस्व प्राप्त अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूप रेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.28 वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात	22.5	22.6	23.0	21.8	22.1
इक्रिमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) *	899	188	(-39)	1275	(-2885)
उधार निधि की निबल उपलब्धता	(-737)	(-238)	1814	110	3313
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	12	10	10	10	9.28
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	1868(8)	1449(6)	1381(5)	1453(5)	1590(4)
1 - 3	2977(13)	3080(13)	3031(11)	2916(10)	3368(10)
3 - 5	2872(12)	2623(11)	3358(12)	4373(14)	5032(14)
5 - 7	3284(14)	4302(17)	5009(19)	4160(14)	3723 (11)
7 और आगे	12298(53)	12856(53)	14547(53)	17131(57)	21129(61)
कुल	23299	24310	27326	30033	34842

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

*फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।

- वर्ष 2014-15 के दौरान, ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य एवं ते.वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक (26.9 प्रतिशत) से कम 22.1 प्रतिशत था।

⁹ बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

¹⁰ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निबल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।



- वर्ष 2010-15 के दौरान अर्तवार्षिक दोलन के पश्चात् गैर-ऋण प्राप्तियों (संसाधन अंतराल) में बढ़ोतरी की पर्याप्तता वर्ष 2010-11 में ₹ 899 करोड़ घटकर वर्ष 2014-15 (-) ₹ 2,885 करोड़ रही जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में कमी का घोटक है। आगे संसाधन अंतराल वर्ष 2013-14 में ₹ 1,275 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में (-) ₹ 2,885 करोड़ रही।
- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2013-14 के ₹ 110 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 3,313 करोड़ हो गया। तथापि, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान संसाधन अंतराल ऋणात्मक (क्रमशः ₹ 737 करोड़ एवं ₹ 238 करोड़) था।
- राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2010-11 के 12 प्रतिशत से नियमित रूप से घटकर वर्ष 2014-15 में 9.28 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान यह 10 प्रतिशत पर स्थिर रहा।
- राज्य-ऋण दायित्व की परिपक्वता की रूपरेखा विभिन्न अवधि खंड के दौरान धन प्रवृत्ति की लंबी परिपक्वता के सकारात्मक रूझान दर्शाते हैं जैसा कि उपरोक्त तालिका में वर्णित है।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को दर्शाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.12 एवं चार्ट 1.13 वर्ष 2010-15 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



- वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। तथापि राजस्व अधिशेष वर्ष 2010-11 में ₹ 836 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा ₹ 230 करोड़ हो गया।
- एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं ते.वि.आ. द्वारा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2010-14 के अन्त तक पूरा कर लिया था, लेकिन 2014-15 के दौरान राज्य स्वयं के लक्ष्य (राजस्व अधिशेष/स.रा.घ.उ.-2.0 प्रतिशत) तथा तेरहवें वित्त आयोग के मानक (आर.डी., शून्य) को पूरा करने में विफल रहा चूँकि उक्त अवधि के दौरान इसका राजस्व घाटा/स.रा.घ.उ. औसत 0.1 प्रतिशत था।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- वर्ष 2010-15 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 1,924 करोड़ एवं ₹ 6,564 करोड़ के बीच दोलित था। इसी बीच राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 के ₹ 2,256 करोड़ से क्रमिक रूप से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 6,564 करोड़ हो गया।
- अन्तरवर्षीय दोलन के उपरान्त स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता मार्च 2014 के अंत तक 1.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2015 के अंत तक 3.3 प्रतिशत हो गया। राज्य, एफ.आर.बी.एम. में तय अपने लक्ष्य तथा तेरहवें वित्त आयोग के तीन प्रतिशत के मानक को पूरा करने में विफल रहा।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान प्राथमिक घाटा (पी.डी.) में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक अधिशेष (पी.एस.) वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 3,635 करोड़ प्राथमिक घाटा हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान दो प्रतिशत के प्राथमिक अधिशेष के विरुद्ध वर्ष 2014-15 प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत था।

1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप

वित्तीय घाटे के वित्त पोषण का स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.29 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.29: वित्तीय घाटे के अवयव एवं वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
वित्तीय घाटे का विखराव		2112	1924	3406	2256	6564		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	836	1428	1370	2665	(-)230		
2	निवल पूँजीगत व्यय	2664	3159	4218	4722	5543		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	284	193	558	199	791		
राजकोषीय घाटे वित्त पोषण का स्वरूप*						प्राप्तियाँ	संवितरण	कुल
1	बाजार उधार	198	785	3145	2535	4950	462	4488
2	भारत सरकार से ऋण	(-)104	(-)122	100	(-)33	153	158	(-)5
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	957	(-)73	(-)200	129	773	438	335
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	96	442	(-)30	455	814	822	(-)8
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	104	70	22	9	843	1045	(-)202
6	आरक्षित निधि	(-)223	(-)105	(-)123	271	308	33	275
7	जमा एवं अग्रिम	464	1030	1290	(-)254	12182	11089	1093
8	उच्चत एवं विविध	(-)27	74	31	(-)1	132	145	(-)13
9	प्रेषण	6	(-)17	(-)141	157	6838	7076	(-)238
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0	(-)76	(-)100	-50	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	(-)641	117	588	580	1285	444	841

* वर्ष 2014-15 को छोड़कर ये सभी अंक सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6,564 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,488 करोड़) एवं जमा एवं अग्रिम (₹ 1,093 करोड़) से किया गया।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) को पूर्ण करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय¹¹ का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। तथ्यों का विभाजन तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: राज्य में प्राथमिक घाटा/अधिशेष - तथ्यों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा(-)/ अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015
2013-14	26160	20858	4722	222	25802	(+)5302	(+)358
2014-15	31598	28866	5543	824	35233	(+) 2732	(-) 3635

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राथमिक व्यय एवं प्राथमिक राजस्व व्यय में बढ़ोतरी के विरुद्ध राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 18,805 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,598 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2,664 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 5,543 करोड़ हो गया।

¹¹ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम।

- वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत बढ़ी जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 लगभग बराबर रहा जिसके कारण वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष हो गया। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,635 करोड़ रहा।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि उस वर्ष के तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 14.5 प्रतिशत के विरुद्ध 14.3 प्रतिशत था।
- राज्य को वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 6,564 करोड़ हो गया। यह स.रा.घ.उ. का 3.3 प्रतिशत था, जो ते.वि.आ. द्वारा की गई अनुशंसित सीमा (तीन प्रतिशत) तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के ठीक परे था। आगे राजकोषीय घाटा का स.रा.घ.उ. से अनुपात वर्ष 2013-14 में 1.3 से घटकर वर्ष 2014-15 में 3.3 प्रतिशत हो गया। सरकार को ते.वि.आ. के मानकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

संसाधनों का एकत्रीकरण

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 31,565 करोड़) वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 20.8 प्रतिशत बढ़ी, वहाँ यह बजट आकलन से ₹ 11,879 करोड़ कम था।

सरकार को बजट में दिए गए प्राप्तियों के अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2014-15 के दौरान, सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य ने शिक्षा क्षेत्र व्यय तथा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय को कम प्राथमिकता दी। तथापि राज्य ने समग्र विकास व्यय को उच्च प्राथमिकता दी।
- पूँजीगत व्यय (सी.ई.) वर्ष 2013-14 में ₹ 4,722 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में ₹ 5,543 करोड़ हो गया। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 17 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 15 प्रतिशत रहा। स.रा.घ.उ. में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 2.7 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 2.8 प्रतिशत था।

सरकार को व्यय के साथ शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

- प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को एक बड़ी राशि ऋण स्वरूप दी गई है लेकिन इसकी वसूली नगन्य थी जिसके कारण मार्च 2015 तक ₹ 1,289.81 करोड़ की बड़ी राशि का पुनर्भुगतान बकाया था।

सरकार से प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले संस्थाओं/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली हेतु सरकार को कदम उठाना चाहिए।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 43,569 करोड़) पिछले वर्ष से 15.9 प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 22.1 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. की अनुशंसा 26.9 प्रतिशत के अंदर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए हास निधि (सिकिंग फण्ड) का गठन नहीं किया है।

सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए हास निधि का गठन करना चाहिए।